

झारखण्ड सरकार  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय  
सलाहकार से  
परामर्शित

प्रेषक,

जॉर्ज कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 16/10/2025/

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2025-26 में नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत गढ़वा जिले के मेराल में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु ₹0 36,26,39,000/- (छत्तीस करोड़ छब्बीस लाख उनचालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध ₹0 15,00,00,000/- (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र के निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

**प्रसंग -** झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक - 2569(नि0) दिनांक 08.10.02025

**आदेश- स्वीकृत ।**

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार लाने एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़संकल्पित है। वर्तमान में झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात 18.6 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक (Multi-disciplinary) के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक 434/रा0 दिनांक 01.06.2023 के द्वारा गढ़वा जिलान्तर्गत मेराल अंचल के ग्राम-लातदाग, खाता संख्या-124, प्लॉट नं0-1473, कुल रकबा-4.50 एकड़, किस्म-गैरमजरूआ मालिक परती पत्थल भूमि को डिग्री महाविद्यालय, मेराल के निर्माण हेतु चिन्हित किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष-BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र एवं लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹0 400.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

4. अतः उपरोक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत गढ़वा जिले के मेराल में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु ₹0 36,26,39,000/- (छत्तीस करोड़ छब्बीस लाख उनचालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध ₹0 15,00,00,000/- (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत गढ़वा जिले के मेराल में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य का क्रियान्वयन PWD Code के आलोक में झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष-"मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष -102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष - BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड- 21S220203102BP010678) (स्कीम कोड-2104) के अंतर्गत होगा।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

8. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

| स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि | निकासी की गई राशि | प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 255/बजट दि० 16.10.24          | 10,00,00,000/-    | 10,00,00,000/-                       |

10. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

11. नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी० एल० खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

13. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

14. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. स्वीकृत्यादेश संख्या 421/बजट दिनांक 16.03.2024 में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

19. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभोजन,

(जॉर्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/यो01-10/2023(उ० शि०) 155/९५६/राँची, दिनांक- 16/10/2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जॉर्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/यो01-10/2023(उ० शि०) 155/९५६/राँची, दिनांक- 16/10/2025

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/ कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जॉर्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।